न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2021(2021/22)

महावीर पुत्र मिश्रीलाल जैन जाति महाजन निवासी ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान हाल निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज लैण्ड रेवेन्यु एक्ट सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः— श्री विष्णु साहू —वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार—तहसीलदार केकड़ी —अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.7.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया है कि ग्राम धूंधरी की जमाबंदी संवत् 2069—72के खाता संख्या नया—पुराना 468—432 खसरा नंबर 258 रकबा 1.2300 है0 जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा काफी वृद्ध व्यक्ति है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थी फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। जिसमे दीगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा व वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी ही एक मात्र वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार काश्त करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नंबर 258 कुल रकबा 1.2300 है0 के आसपास के खातेदार अवैध व अवैधानिक तथा प्रार्थी की वृद्धावस्था का गलत व नाजायज रूप से फायदा उठाकर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी के आसपास के खातेदारान नाजायज व जबरन रूप से प्रार्थी के खेत पर अंदर बढ़ रहे है। और मौके पर दबाव बनाकर आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी अपनी उक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर मौके पर जरिये मीट्स एण्ड बाउण्डस् राजस्व रेकार्ड के अनुसार मुश्तकिल पाईन्टस् से नाप चोप कर प्रार्थी की आराजी की सीमाज्ञान कर सीमा पर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित करना चाहता है। जो कि किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। ताकि भविष्य मे उक्त आराजी की सीमाओ को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो और न ही कोई संगीन अपराध कारित हो। यदि वर्णित आराजी पर बरवक्त सीमाज्ञान मौके पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त अतिक्रमण को जरिये प्रशासन व पुलिस इमदाद के हटाया जाकर प्रार्थी की आराजी पर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक व न्यायसंगत है। यदि प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित नहीं किये गये तो आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद व झगड़ा हो सकता है शान्ति भंग हो सकती है। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का नाप चौप कर सीमाज्ञान कर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ताकि भविष्य मे इस हेतु कोई विवाद नहीं हो तथा प्रार्थी की खातेदारी की राजस्व आराजी पर स्थायी सीमाचिन्हो का नापचौप कर सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी ने उक्त/वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रतिवादी के कार्यालय मे निवेदन किया,लेकिन मौके पर प्रार्थी की आराजी सही नाप चौप व सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। अप्रार्थी लैण्ड रेकार्ड अधिकारी व लैण्ड लोर्ड होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। प्रकरण न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से पेश किया गया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खा[illegible] उक्त आराजी का मौके पर जरिये मिट्स एण्ड बाउण्डस के नाप चौपकर उक्त आराजी [illegible] स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित करने के आदेश न्यायहित मे फरमावे [illegible] आराजी की [illegible] को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं बढ़े साथ ही वर्णित आराजी [illegible] पर किसी प्रकार [illegible] कच्चा/पक्का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त [illegible] सारान व पुलिस इमदाद [illegible] हटाया जाकर प्रार्थी की आराजी पर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जवाब तहसीलदार केकड़ी—पैरोकार सरकार का पेश हुआ जवाब मे बताया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है,भू अभिलेख निरीक्षक पारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। राजहित प्रभावित नहीं है। जवाब सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अभिभाषक ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। अप्रार्थी– पैरोकार सरकार को भी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होने बहस मे जवाब के कथनो को दोहराया तथा अवगत कराया कि भू अभिलेख निरीक्षक पारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। राजहित प्रभावित नही है।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम धून्धरी की जमाबंदी संवत् 2069–72 कें खाता संख्या नया–पुराना 468–432 मे अंकित खसरा नंबर 258 रकबा 1.2300 है0 बारानी 2 की पत्थरगढ़ी किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी,प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर दक्ष कार्मिको की टीम बनायी जाकर ग्राम धून्धरी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी जमाबंदी संवत् 2069–72 कें खाता संख्या नया–पुराना 468–432 मे अंकित खसरा नंबर 258 रकबा 1.2300 है0 बारानी 2 जो प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है,की पत्थरगढ़ी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner